कार्यालय अंचल अधिकारी, माण्डू (रामगढ)

आदेश पत्रक

विविध वाद सं0 ......05......./ 15–16

आदेश की तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख
08-01-18	:– आदेश –: विविध वाद : 05 / 15–16 यह वाद आवेदन कार्तिक गंझू वगै0 ग्राम बुमरी थाना माण्डू जिला रामगढ़ के आवेदन पर प्रारंभ किया गया है। आवेदक ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि खाता नं0 20 की जमीन जो गाबा गंझू वगै0 के नाम से दर्ज है पर आवेदन वगै0 शांति पूर्ण दखलकार है। उपरोक्त भूमि में से 1.54 ए0 भूमि सी0सी0एल0 के द्वारा अधिग्रहण किया गया है जिसका मुआवजा खतियानी रैयत के झुमर गंझु पिता का नाम अनठनीय के द्वारा प्राप्त किया गया है। प्रश्नगत भूमि की रसीद इस गांव के सुखराम मांझी के वंशज कटा रहे है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि उपर्युक्त जमीन की जॉच कर सुखराम मांझी का जमाबंदी बंद कर हमलोगों के नाम से जमाबंदी खोलकर सरकारी रसीद निर्गत किया जाय। आवेदक ने अपने आवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि इस जमीन से संबंधित हजारीबाग सबजज के अदालत में टाईटल सुट चल रहा है। जिसमें फैसला अभी तक नही हुआ है। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख 11.04.15 को संबंधित कार्यालय लिपिक द्वारा खोला गया है, जिसमें पिठासीन पदाधिकारी का कहीं भी हस्ताक्षर नहीं है। अभिलेख में कुछ नोटिस सन्नहित है जिससे ऐसा प्रतित होता है कि वादी प्रतिवादी को सूचित किया गया था तथा दिनांक 16.04.15 को मूल कागजो के साथ उपस्थित होने हेतु आदेश निर्गत किया गया था। यह वाद ग्राम बुमरी के खाता सं0 20 प्लॉट सं0 24 रकवा 18.43 ए0 से संबंधित है। इस वाद को राजस्व विविध वाद के रूप में ई-राजस्व न्यायालय के पोटर्ल पर अपलोड किया गया है। वाद में आवेदक के द्वारा इस तथ्य का उललेख किया गया है। कि उक्त भूमि से संबंधित टाईटल सुट माननीय सबजज हजारीबाग के कोर्ट में लंबित है। यहॉ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि व्यवहार न्यायालय में चल रहे किसी विवाद पर विवेचन करने का अधिकार अंचल अधिकारी को नही है। इस वाद को प्रारम्भ ही नही किया जाना चाहिए था। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 8/1/18 अंचल अधिकारी माण्डू 8/1/18 अंचल अधिकारी माण्डू 8.1.18	